

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-01/2026-78

पटना, दिनांक-03.06.2026

कार्यालय आदेश

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारियों को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास आवंटित किया जाता है:-

क्र0	Reg.No	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय	आवंटित आवास
1.	GZ16154	श्री रॉबर्ट एल चॉंगथु, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	A3/28, 96 सेट, नेहरू पथ
2.	GZ16166	श्री अवनीश कुमार सिंह, भा0प्र0से0, सचिव	खान एवं भूतत्व विभाग	B3/41, 96 सेट, नेहरू पथ
3.	GZ16132	श्री मिथिलेश मिश्र, भा0प्र0से0, पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत	सामान्य प्रशासन विभाग	B3/52, 96 सेट, नेहरू पथ
4.	GZ16163	श्री बलराम दूबे, भा0प्र0से0, सचिव-सह-विधि परामर्शी	विधि विभाग	B3/47, 96 सेट, नेहरू पथ

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे।
- नये आवंटी पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल (मो0नं0-9264293042) से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- स्थानान्तरण या अन्य कारणों से पटना स्थित पात्र कार्यालय में पदस्थापन की अवधि समाप्त होने पर उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उनसे सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-11(2) में विहित प्रावधानों के अनुसार आवास किराया/दण्ड किराया लिया जाएगा तथा नियमानुसार निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी।
- सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांक:-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-01/2026-4889(भ) पटना, दिनांक:-03.06.2026

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/सभी संबंधित पदाकारी/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल, पटना/कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/आई.टी.मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	पद	संयुक्त सचिव
01	श्री. राजेश कुमार	सहायक सचिव	संयुक्त सचिव
02	श्री. अशोक कुमार	सहायक सचिव	संयुक्त सचिव
03	श्री. विजय कुमार	सहायक सचिव	संयुक्त सचिव
04	श्री. सुरेश कुमार	सहायक सचिव	संयुक्त सचिव
05	श्री. प्रदीप कुमार	सहायक सचिव	संयुक्त सचिव

भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव (संयुक्त सचिव) को सूचना दी जाती है कि संयुक्त सचिव के द्वारा भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचना दी जाती है।

संयुक्त सचिव को सूचना दी जाती है कि संयुक्त सचिव के द्वारा भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचना दी जाती है।

संयुक्त सचिव को सूचना दी जाती है कि संयुक्त सचिव के द्वारा भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचना दी जाती है।

संयुक्त सचिव को सूचना दी जाती है कि संयुक्त सचिव के द्वारा भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचना दी जाती है।

संयुक्त सचिव को सूचना दी जाती है कि संयुक्त सचिव के द्वारा भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचना दी जाती है।

संयुक्त सचिव को सूचना दी जाती है कि संयुक्त सचिव के द्वारा भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचना दी जाती है।

संयुक्त सचिव को सूचना दी जाती है कि संयुक्त सचिव के द्वारा भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचना दी जाती है।

संयुक्त सचिव को सूचना दी जाती है कि संयुक्त सचिव के द्वारा भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचना दी जाती है।

संयुक्त सचिव को सूचना दी जाती है कि संयुक्त सचिव के द्वारा भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचना दी जाती है।

संयुक्त सचिव को सूचना दी जाती है कि संयुक्त सचिव के द्वारा भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव के आदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सूचना दी जाती है।

संयुक्त सचिव
भवन निर्माण विभाग
पटना

